

गुमास/सि/अं 25/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	कोषी
--------	------------	------

06/02/24

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर नौ कम होकर बाद तर्तीव तकमील दखिल दफतर में।

REL

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प सुन्झान)



[Faint, mostly illegible handwritten notes and signatures in the right-hand column of the table, including some numbers like 25-15 and 25-15/15.]